रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2000/फाल्गुन 17, 1921
No. 145] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2000/PHALGUNA 17, 1921

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2000

सा. का. नि. 226 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 3 के विद्यमान उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

3. **ब्यूरो का गठन**—"(1) ब्यूरो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारसाधक मंत्री, जो ब्यूरो का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग में, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, राज्य मंत्री या उपमंत्री, यदि कोई हो, जो ब्यूरो का पदेन उपाध्यक्ष होगा और जहां ऐसा कोई राज्य मंत्री या उपमंत्री नहीं है वह ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाए।

(ग) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारसाधक भारत सरकार का सचिव, पदेन ;

(घ) ब्यूरो के महानिदेशक—पदेन ;

(ङ) पांच संसद सदस्य जिनमें से तीन लोक सभा से और दो राज्य सभा से होंगे ;

(च) ब्यूरो के हितों के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित कार्य को देखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति ;

(छ) पांच प्रतिनिधि—राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के पांच जोनों में से बारी-बारी से एक-एक और जो

(i) राज्यों और जिन संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद है उनमें गुणवत्ता और मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के प्रभारी मंत्री हों ; और

(ii) जिन संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद नहीं है, उनके प्रशासक या मुख्य कार्यकारी पार्षद हों ;

(ज) दस व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक उन मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों जो केन्द्रीय सरकार की राय में अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय और प्रभावशाली हों, या उस सरकार की राय में उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों;

(झ) दो व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार की राय में किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों ; इनका नामांकन किसानों में से या किसानों के संगमों में से किया जाएगा ;

(ञ) उद्योग और व्यापार तथा उनके संगमों, पब्लिक सैक्टर उद्यमों और लघु उद्योग सैक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले चौबीस सदस्यों का निम्नवत चयन किया जाएगा :

(i) लघु उद्योगों के कम से कम दो संगमों या परिसंघों सहित अखिल भारतीय स्तर के आठ उद्योग संगमों या परिसंघों के अध्यक्ष;

(ii) ब्यूरो के लिए महत्व के विषयों से संबंधित आठ केंद्रीय या राज्य पब्लिक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ;

(iii) पब्लिक सैक्टर से भिन्न छः औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक ;

(iv) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन स्कीम को प्रचालित कर रही दो लघु उद्योग इकाइयों के अध्यक्ष या स्वत्वधारी ;

(ट) ब्यूरों के लिए महत्व विषयों से संबंधित वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति ;

(ठ) तकनीकी, शैक्षिक और व्यावसायिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पौंच व्यक्ति; इनका चयन ब्यूरो के लिए महत्व के विषयों से संबंधित व्यावसायिक निकायों, शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा।"

[फा. सं. 2/6/99-बी आई एस]

एस. नौटियाल, अपर सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में तारीख 31 मार्च, 1987 के सा. का. नि. 361(अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें तदुपरांत सा.का.नि. 7(अ) तारीख 6 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 48(अ) तारीख 2 फरवरी, 1990, सा.का.नि. 543(अ) तारीख 5 जून, 1980, सा.का.नि. 638(अ) तारीख 16 जुलाई, 1990 और सा. का. नि. 557(अ) तारीख 17 अगस्त, 1993 के द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2000

G.S.R. 226 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, in rule 3, for the existing sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

3. Constitution of the Bureau.—"(1)The Bureau shall consist of the following members, namely—

(a) the Minister incharge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau who shall be ex-officio President of the Bureau;

(b) the Minister of State or a Deputy Minister, if any, in the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau who shall be ex-officio Vice-President of the Bureau, and where there is no such Minister of State or Deputy Minister, such person as may be nominated by the Central Government to be the Vice-President of the Bureau;

(c) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau ex-officio;

(d) the Director General of the Bureau ex-officio;

(e) five Members of Parliament of whom three shall be from the House of the People and two from the Council of States;

(f) ten persons representing the Ministries and Department of the Central Government dealing with important subjects of interest to the Bureau;

(g) five representatives—one each from five zones of State Government and the Union Territories on rotation basis who shall be,—

(i) the Minister in charge of the Department having administrative control over quality and standards in the case of States and Union Territories having a Council of Ministers; and

(ii) the Administrator or the Chief Executive Councilor, as the case may be, in the case of Union territories, not having a Council of Ministers;

(h) ten persons either representing recognized Consumer Organizations, which in the opinion of the Central Government are active and effective in their operations, or are in the opinion of that Government capable of representing consumer interests;

(i) two persons, who, in the opinion of the Central Government, are capable of representing farmers' interests, to be nominated from amongst farmers or farmers associations;

(j) twenty four persons representing the industry and trade and their associations, public sector enterprises and small scale sectors to be chosen as follows :—

(i) Presidents of eight industry associations or federations of all-India level including at least two associations or federations of small scale industries;

(ii) Chief Executives of eight Central or State Public Enterprises related to subjects of importance to the bureau;

(iii) Chairman or Managing Directors of six industrial organizations other than the public sector;

(iv) Chairman or Proprietors of two small scale industrial units operating the Bureau of Indian Standards Certification Scheme;

(k) five persons representing the scientific and research institutions related to subjects of importance to the Bureau;

(l) five persons representing the technical, education and professional organizations to be chosen from amongst representatives of professional bodies, educational and technical institutions related to subjects of importance to the Bureau."

[F. No. 2/6/99-BIS]

S. NAUTIYAL, Addl. Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 361(E) dated 31st March, 1987 and subsequently amended vide G.S.R. 7(E) dated 6th January, 1989, G.S.R. 48(E) dated 2nd February, 1990, G.S.R. 543(E) dated 5th June, 1990, G.S.R. 638(E) dated 16th July, 1990 and G.S.R. 557(E) dated 17th August, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.